

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक-25 / 9 / 2018

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 5,77,28,000/- (रुपये पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठाईस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के पत्रांक-941, दिनांक-25.08.2018 के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 5,77,28,000/- (रुपये पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठाईस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि0(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0021-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210011100021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0अ0-01/2018- 47(1) 90 /स्वा0, पटना, दिनांक-25/9/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210011100021 को
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	पूर्व का उपबंध	वर्तमान उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0021.01.01 वेतन	40000000	40000000	30000000	10000000	40000000	0
0021.01.03 जीवन यापन भत्ता	4000000	4000000	3000000	1000000	4000000	0
0021.01.04 मकान किराया भत्ता	6500000	6500000	4875000	1625000	6500000	0
0021.01.05 परिवहन भत्ता	3000000	3000000	2250000	750000	3000000	0
0021.01.06 चिकित्सा भत्ता	3000000	3000000	2250000	750000	3000000	0
0021.01.07 अन्य भत्ता	2410000	2410000	1807500	602500	2410000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	58910000	58910000	44182500	14727500	58910000	0
0021.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000	1000	500	500	1000	0
0021.11.01 यात्रा व्यय	100000	100000	50000	50000	100000	0
0021.13.01 कार्यालय व्यय	2000000	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0021.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	200000	100000	100000	200000	0
0021.13.03 दूरभाष	200000	200000	100000	100000	200000	0
0021.13.04 विद्युत प्रभार	500000	500000	500000	0	500000	0
0021.13.05 विधि प्रभार	1000	1000	1000	0	1000	0
0021.13.06 वर्दी/पोशाक	100000	100000	50000	50000	100000	0
0021.13.10 भाड़े की गाडी का भुगतान	600000	600000	300000	300000	600000	0
0021.14.01 किराया महसूल एवं कर	1000	1000	1000	0	1000	0
0021.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	100000	50000	50000	100000	0
0021.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	100000	50000	50000	100000	0
0021.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	100000	50000	50000	100000	0
0021.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	20000000	20000000	10000000	10000000	20000000	0
0021.21.02 दवा भण्डार	30000000	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0021.21.03 आहार/ पथ्य	5000000	5000000	3750000	1250000	5000000	0
0021.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0	0
0021.28.02 संविदा सेवायें	50000000	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0021.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	0	18000000	18000000	0	18000000	0
0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय	20000000	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योग :-	187913000	205913000	148185000	57728000	205913000	0

(रुपये पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार)

47(1)ब0

25-9-18

24/9/18

सरकार के विशेष सचिव